न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 54 / 2017
दायरी दिनांक 25.05.2017

उनवान

1. चांदू पुत्री मेवानाथ पत्नी नारायण नाथ जाति नाथ निवासी धामणिया हालमुकाम जस्साजी का खेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––**वादिया**

बनाम

1. शंकरनाथ पिता मेवानाथ जाति नाथ निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. रामेश्वरनाथ पिता मेवानाथ जाति नाथ निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. भोजानाथ पिता मेवानाथ जाति नाथ निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. मु0 श्रृंगारी बेवा मेवानाथ जाति नाथ निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा। (नाम हटाया गया)
5. मु0 विमला पुत्री मेवानाथ पत्नी लालानाथ जाति नाथ निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा हालमुकाम नाथावतों का खेड़ा।
6. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामणियां तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
7. भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––**प्रतिवादीगण**

उपस्थित :–

1. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,6 व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी
3. प्रतिवादी संख्या 4 का नाम हटाया गया।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 11.11.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा धामणियां पटवार मण्डल धामणियां तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी संख्या 1050 रकबा 5 बिस्वा, 1051 रकबा 9 बिस्वा, 1172 रकबा 3 बिस्वा,

1173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1182 रकबा 6 बिस्वा, 1186 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 1187 रकबा 15 बिस्वा, 1187/1 रकबा 5 बिस्वा, 1205 रकबा 15 बिस्वा, 1207 रकबा 9 बिस्वा, 1208 रकबा 11 बिस्वा, 1209 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1210 रकबा 16 बिस्वा, 1217 रकबा 14 बिस्वा, 2208/1212 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 15 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि तथा आराजी संख्या 1188 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1218 रकबा 5 बिस्वा गै0मु0 आ0चा0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ ही अन्य सह खातेदारान के नाम शामलाती खाते दर्ज है। मृतक मेवानाथ के वारिसान वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,5 के पिता व प्रतिवादिया संख्या 4 के पति मेवानाथ की मृत्यु सन् 2006 में हो चुकी है। खातेदार मेवानाथ पिता किशननाथ की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा होकर वादिया एवं प्रतिवादीगण उनके हिस्से अनुसार मौके पर काश्त करते चले आ रहे है।

वादिया द्वारा अप्रैल 2017 में अपने नाम दर्ज भूमि पर कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी धामणिया से संपर्क किया गया तब वादिया को यह जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि उसके नाम अंकित नही है। दिनांक 18 मई, 2017 को धामणियां ग्राम में आयोजित राजस्व कैम्प में अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो वे इंकार हो गए तथा यह भी कहा कि तुम्हारा वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं है।

वादिया को वाद हेतु अप्रेल 2017 एवं 18 मई 2017 से उत्पन्न होकर सतत् जारी है। अतः इस आशय की घोषणात्मक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 के सादिर फरमाई जावे कि ग्राम धामणिया स्थित आराजी संख्या 1050 रकबा 5 बिस्वा, 1051 रकबा 9 बिस्वा, 1172 रकबा 3 बिस्वा, 1173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1182 रकबा 6 बिस्वा, 1186 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 1187 रकबा 15 बिस्वा, 1187/1 रकबा 5 बिस्वा, 1205 रकबा 15 बिस्वा, 1207 रकबा 9 बिस्वा, 1208 रकबा 11 बिस्वा, 1209 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1210 रकबा 16 बिस्वा, 1217 रकबा 14 बिस्वा, 2208/1202 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 15 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि तथा आराजी संख्या 1188 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1218 रकबा 5 बिस्वा गै0मु0 आ0चा0 भूमि में वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 व 5 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही वादपत्र वर्णित आ0चा0 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 के साथ वादिया को भी सह खातेदार घोषित किया जावे साथ ही इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खाता की जावे एवं इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री बहक प्रतिवादीगण जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि में वादिया के बनने वाले हिस्से के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे।

बाद जांच वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस मय नकल वादपत्र भिजवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 बावजूद सूचना तामिल

दिनांक 19.07.2017 को अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 6 के भी दिनांक 26.09.2017 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता वादिया द्वारा दिनांक 18.12.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 मु0 श्रृंगारी की मृत्यु हो जाने से उसका नाम वादपत्र में से हटा दिया जावे। दिनांक 07.08.2018 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 मु0 श्रंगारी का नाम हटाये जाने बाबत् आदेश दिया गया एवं वादपत्र में साक्ष्य वादिया एकतरफा प्रारम्भ की गयी। अधिवक्ता वादिया द्वारा साक्ष्य वादिया पी0डब्ल्यू0 1 करवाया गया। वादिया ने अपने बयान में यह अंकित किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है जो कि मेरे पिता श्री मेवानाथ पुत्र किशननाथ की पारिवारिक विरासत से प्राप्त कृषि भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादिया स्वयं एवं प्रतिवादिया संख्या 5 श्रीमती विमला पुत्री मेवानाथ पत्नी लालानाथ निवासी नाथावतों का खेडा तहसील माण्डलगढ़, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के साथ ही श्री मेवानाथ पुत्र किशननाथ की प्रथम श्रेणी की वारिस है। श्री मेवानाथ की मृत्यु के पश्चात् प्रश्नगत आराजियात पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादिया संख्या 4 मु.0 श्रृंगारी धर्मपत्नी श्री मेवानाथ की मृत्यु के पश्चात् वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादिया संख्या 5 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 5 का नाम अंकित नही होने एवं राजस्वकर्मियों द्वारा ऐसा किया जाने से इन्कार करने से वाद कारण उपस्थित हुआ है।

साक्ष्य वादियां के अंतर्गत पी0डब्ल्यू0 2 के रूप में रामकिशन पुत्र लादू जाति जाट निवासी धामणियां के बयान करवाये गये। साक्षी द्वारा अपने बयानों में यह अंकित किया गया कि मै वादिया एवं प्रतिवादीगण को जानता हूँ। मै वादग्रस्त जमीन का पडौसी खातेदार हूँ एवं वादिया एवं प्रतिवादीगण मेरे ही गाँव के निवासी है। श्री मेवानाथ पुत्र किशननाथ निवासी धामणिया की मृत्यु 13 वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रतिवादिया मु0 श्रंगारी एक वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है जिसके वारिसान पक्षकार है। इस प्रकार श्री मेवानाथ पुत्र किशननाथ निवासी धामणिया के वारिसान वर्तमान में वादिया, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादिया संख्या 5 है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम धामणिया में स्थित है। वादिया व प्रतिवादिया संख्या 5 श्रीमती विमला पत्नी लालानाथ पुत्री मेवानाथ जाति नाथ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की सगी बहने है। वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादिया संख्या 5 श्री मेवानाथ की विरासत से प्राप्त कृषि भूमि अपने अपने हिस्सेनुसार कब्जे काश्त होकर उक्त कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहे है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 01.07.2019 व पुनः दिनांक 11.11.2019 को पेश हुई। अधिवक्ता वादिया उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अधिवक्ता वादिया ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा धामणियां पटवार मण्डल धामणियां तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी संख्या 1050 रकबा 5 बिस्वा, 1051 रकबा 9 बिस्वा, 1172 रकबा 3 बिस्वा, 1173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1182 रकबा 6 बिस्वा, 1186 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 1187 रकबा 15 बिस्वा, 1187/1 रकबा 5 बिस्वा, 1205 रकबा 15 बिस्वा, 1207 रकबा 9 बिस्वा, 1208 रकबा 11 बिस्वा, 1209 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1210 रकबा 16 बिस्वा, 1217 रकबा 14 बिस्वा, 2208/1212 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 15 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1188 रकबा 5 बिस्वा गै0मू0 खड्डा तथा आराजी संख्या 1218 रकबा आ0चा0 ग्राम धामणिया पटवार मण्डल धामणिया तहसील माण्डलगढ़ में स्थित होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 5 मु0 विमला पत्नी लालानाथ पुत्री मेवानाथ निवासी धामणिया हाल निवासी नाथावतों का खेडा श्री मेवानाथ पुत्र किशननाथ की जायंदा पुत्रिया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 5 श्री मेवानाथ पुत्र किशननाथ की प्रथम श्रेणी की वारिस है अतः राजस्व अभिलेखो में श्री मेवानाथ की पारिवारिक विरासत से प्राप्त कृषि भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम हिस्सा बराबर दर्ज की जानी चाहिये थी परन्तु राजस्वकर्मियों द्वारा ऐसा नही किया गया। अतः वादग्रस्त भूमि में वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 5 को खातेदार घोषित किया जाना उचित एवं आवश्यक है।

हमने अधिवक्ता वादिया की बहस का मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज ग्राम धामणिया पटवार मण्डल धामणिया तहसील माण्डलगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2060–63 खाता संख्या 418 एवं जमाबंदी संवत् 2072–75 खाता संख्या 112, 408, 636, नामांतरकरण संख्या 1489, 2055 ग्राम धामणिया पटवार मण्डल धामणिया तहसील माण्डलगढ़ का अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 मेवानाथ पुत्र किशननाथ जाति नाथ निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़ के वारिसान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादिया व प्रतिवादीगण चूंकि प्रथम श्रेणी के वारिस होना स्पष्ट है इसलिए मेवानाथ पुत्र किशननाथ की पारिवारिक विरासत से प्राप्त समस्त भूमि में वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा बराबर राजस्व लेखों में अंकित किया जाना चाहिये था परन्तु प्रकरण में ऐसा किया जाना नही पाया गया है। पत्रावली में

प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि कुछ राजस्व अभिलेखो में वादिया व प्रतिवादिया संख्या 5 का नाम दर्ज रिकॉर्ड है जबकि अन्य में नही परन्तु वादिया द्वारा चाहे गये अनुतोष खाता संख्या 112, 408, 636 के अंतर्गत अभिलिखित कृषि भूमि में से ही अपने हिस्से की घोषणा चाही गयी है। पत्रावली के आद्योपांत अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण वादिया के पक्ष में पाया जाने से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादिया अंतर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादिया संख्या 5 को मौजा धामणियां पटवार मण्डल धामणियां तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी संख्या 1050 रकबा 5 बिस्वा, 1051 रकबा 9 बिस्वा, 1172 रकबा 3 बिस्वा, 1173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1182 रकबा 6 बिस्वा, 1186 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 1187 रकबा 15 बिस्वा, 1187/1 रकबा 5 बिस्वा, 1205 रकबा 15 बिस्वा, 1207 रकबा 9 बिस्वा, 1208 रकबा 11 बिस्वा, 1209 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1210 रकबा 16 बिस्वा, 1217 रकबा 14 बिस्वा, 2208/1212 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 15 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि तथा आराजी संख्या 1188 रकबा 5 बिस्वा गै0मू0 खड्डा तथा आराजी संख्या 1218 रकबा 5 बिस्वा आ0चा0 ग्राम धामणिया पटवार हलका धामणिया तहसील माण्डलगढ़ वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 5 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के साथ बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से को हजफ किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादिया संख्या 5 का हिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 11.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चंद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2019.11.15 17:30:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: